श्री दुर्गानन्द झा, बि0प्र0से0, अपर समाहर्ता, मधुबनी द्वारा दिनांक– 28.11.2018 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के राजस्व न्यायालय का किये गये निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी।

श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, बि0प्र0से0, विभागीय अधिसूचना के अनुपालन में दिनांक– 30.08.2018, से भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के प्रभार में हैं।

1– दाखिल खारिज पुनरीक्षण वादः–

वाद पंजी संधारित है। बिहार भूमि दाखिल खारिज़ अधिनियम 2011 की धारा–7 के अंतर्गत अंचल अधिकारी द्वारा निष्पादित दाखिल खारिज वादों की सुनवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता अपीलीय प्राधिकार हैं। कुल 08 दाखिल खारिज अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता,फुलपरास के न्यायालय में दायर है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास द्वारा बताया गया कि दो माह पूर्व ही वे योगदान किये हैं। सुनवाई की जा रही है। दायर अपील वादों का नियमित सुनवाई करते हुये निष्पादन किये जाने का निदेश दिया गया।

2– भू0हद0धारा–16 (3) वाद पंजीः–

वाद पंजी संधारित है। बिहार भूमि सुधार एवं अधितम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा–16(3) के अंतर्गत अग्रक्रय (Pre- umption) वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में दायर किया जाता है जिसकी सुनवाई कर वाद का निष्पादन भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा किया जाता है। कुल 07 अग्रक्रय (Pre- umption) वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के न्यायालय में विचाराधीन है। वादों में सुनवाई कर शीघ्र निष्पादन का निदेश दिया गया।

3– लगान निर्धारण वादः–

वाद पंजी संधारित है। मात्र 01 लगान निर्धारण का आवेदन दायर हुआ है, जो प्रक्रियाधीन है। निदेशित किया गया कि सुनवाई के उपरान्त शीघ्र निष्पादित किया जाय।

4– बटाईदारी वादः–

वाद पंजी संधारित है। बी0टी0एक्ट की धारा– 48 (ई) के अंतर्गत बटाईदारी मामले की सुनवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय सक्षम है। एक भी मामले लंबित नहीं है।

5– भूमि विवाद निराकरण अधिनियम :–

वाद पंजी संधारित है। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में कुल 126 वाद दायर हुआ जिसके विरूद्ध 67 वादों का निष्पादन किया गया है शेष 60 वाद सुनवाई हेतु लंबित है जो सभी 90 दिनों से अधिक के हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास का पद

अधिक दिनों तक रिक्त हो जाने के कारण न्यायालय कार्य स्थगित रहा। निदेशित किया गया कि लंबित वादों का शीघ्र सुनवाई कर निष्पादन किया जाय।

6– अतिक्रमण अपील वादः–

वाद पंजी संधारित है। एक भी मामले भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के न्यायालय में लंबित नहीं है।

7– नीलाम पत्रः–

वाद पंजी संधारित है।

1.4.18 के पूर्व लंबित	2018–19 में दायर	कुल दायर वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	कुल लंबित	सन्निहित राशि
103	21	124	44	00	44	80	9129177

लंबित वादों का अधियाची विभागवार विवरणः–

कमांक	अधियाची विभाग	दायर वाद	निष्पादित	लंबित	सन्निहित राशि (लाख में)
01	भा0स्टेट बैंक, लौकहा	32	14	18	1188834.00
02	सेन्ट्रल बैंक, खुटौना	30	19	11	2293151.00
03	प्र0वि0पदा0घोघरडीहा	22	04	18	1676760.00
04	प्र0वि0पदा0,खुटौना	07	00	07	652296.00
05	प्र0वि0पदा0, फुलपरास	13	01	12	1165237.00
06	प्र0वि0पदा0, लौकही	11	00	11	1812799.00
07	सेन्ट्रल बैंक, सुधी रतौली	09	06	03	340100.00
कुल		**124**	**44**	**80**	**9129177.00**

8– **साहुकारी वाद अपील अभिलेख पंजीः**

वाद पंजी संधारित है। एक भी अपील वाद दायर नहीं है।

9– **भूमि बन्दोवस्ती अभिलेख पंजीः**

वाद पंजी संधारित है। बताया गया कि एक भी भूमि बंदोवस्ती का अभिलेख अनुमण्डल राजस्व शाखा में लंबित नहीं है।

10– **सीमांकन वाद अपीलः**

बताया गया कि सीमांकन का एक भी अपील वाद लंबित नहीं है।

11— भूदानः—

1.4.18 तक लंबित	2018—18 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
00	00	00	00	00	00	00	00

बताया गया कि एक भी मामला भूदान यज्ञ से संबंधित सम्पूष्टि हेतु लंबित नहीं है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी, के न्यायालय कार्य निरीक्षण के कम में पाया गया कि अभिलेखों का संधारण उपस्थापक द्वारा सही ढ़ंग से नहीं किया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेशित किया गया कि स्वयं अभिरूचि लेकर वाद अभिलेख पंजी एवं अभिलखों को दुरूस्त कराते हुये नियमित रूप से न्यायालय का संचालन कर वादों का निष्पादन निर्धारित समय—सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाय। साथ ही पारित आदेश को उसी दिन जिला के पोर्टल पर अपलोड भी कराया जाय। नीलाम पत्र के लंबित वादों का नियमित सुनवाई कर निष्पादन त्वरित गति से किया जाय क्योंकि एक बड़ी सरकारी राशि नीलाम पत्र वादों में सन्निहित है।

अपर समाहर्ता,
मधुबनी। 28/11/18

ज्ञाप संख्या...98(गो)... / जि0रा0 मधुबनी दिनांक...28.11.18

प्रतिलिपिः—भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यकय कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी,जिला नीलाम पत्र शाखा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—समाहर्ता, मधुबनी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्ता,
मधुबनी। 28/11/18